

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :- 29/24

प्रार्थी
बैंक ऑफ बडौदा
चांदपोल, जोधपुर जरिये प्राधिकृत
अधिकारी शैलेन्द्र प्रताप कैलानी

बनाम

अप्रार्थी

- श्रवणराम पुत्र चुन्नीलाल जी
275, सुभाष कॉलोनी वार्ड नम्बर 9,
पीपाड शहर जिला जोधपुर
- नाथी पत्नि श्रवणराम
275, सुभाष कॉलोनी वार्ड नम्बर 9,
पीपाड शहर जिला जोधपुर



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

आदेश दिनांक :- 05.04.2024

उपस्थिति :-

1-श्री विरेन्द्र सिंह इन्दा अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी पक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण श्रवणराम पुत्र चुन्नीलाल जी व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 27,90,000/- आवासीय ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण नाथी पत्नि श्रवणराम की जायदाद मकान/प्लॉट नं 64, खसरा नं. 1109 एवं 1109/1 गांव सिन्धीपुरा तहसील पीपाड सिटी जिला जोधपुर ग्रामीण में स्थित आवासीय जायदाद मय निर्माण जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट, जिसके उत्तर में प्लॉट नं. 63, दक्षिण में प्लॉट नं. 65, पूर्व में 30 फीट रोड़, पश्चिम में प्लॉट नं. 61 आया हुआ रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्त/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 20.11.2023 तक 14,87,913.36/- रुपये भुगतान नहीं

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) राज.

पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 27,90,000/- आवासीय ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 20.11.2023 तक 14,87,913.36/- रूपये वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष नाथी पत्नि श्रवणराम द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद नाथी पत्नि श्रवणराम की जायदाद मकान/प्लॉट न 64, खसरा न. 1109 एवं 1109/1 गांव सिन्धीपुरा तहसील पीपाड सिटी जिला जोधपुर ग्रामीण में स्थित आवासीय जायदाद मय निर्माण जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट जिसके उत्तर में प्लॉट नं. 63, दक्षिण में प्लॉट नं. 65, पूर्व में 30 फीट रोड़, पश्चिम में प्लॉट नं. 61 आया हुआ का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 05.04.2024 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) राज.

